<u>कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना</u>

सं.-स्था.(ले.प.) /कोविड-19/21-22/सी-37 दिनांकः 06.05.2021

<u>कार्यालय आदेश</u>

विषयः कोविड19 को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय-केन्द्र सरकार के सभी कर्मियों के लिए टिकाकरण के संबंध में ।

सरकार के द्वारा 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों के टिकाकरण का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 11013/9/2014-स्था.ए.III दिनांक 22.04.2021 के तहत केन्द्र सरकार के सभी कर्मियों को स्वयं को टीका लगवाने का सुझाव दिया गया है ।

इस संबंध में, मुख्यालय के पत्र सं. 194-सम्पदा/2020 दिनांक 05.05.2021 एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त आदेश के अनुसार, इस कार्यालय के सभी कर्मियों को स्वयं को टीका लगवाने का सुझाव दिया जाता है ताकि कोविड19 के प्रसार को प्रभावीरूप से रोका जा सके । इसके अतिरिक्त, उन्हें टीका लगवाने के बाबजूद भी लगातार हाथ धोते या सेनेटाईज करते रहने, मास्क/फेस कवर पहनते रहने तथा शारीरिक दूरी बनाए रखने जैसे कोविड-ऐप्रोप्रियेट-बिहेवियर का पालन करते रहने का सुझाव दिया जाता है ।

यह महालेखाकार महोदय द्वारा अनुमोदित है ।

ह/-

उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना
2. सभी समूह अधिकारियों के सचिवालय
3. सभी नियंत्रणाधीन अनुभागों के व.ले.प.अ.
4. उक्त आदेश को कार्यालयीन वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ व.ले.प.अ. /एएमएस अनुभाग
5. नोटिस बोर्ड/सभी संघों के व्हाट्सएप समूह
6. कार्यालय आदेश संचिका

ह/-

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)